राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	रामदयाल बनाम अभिलाशा हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 2004/2025	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

13/02/2026

पत्रावली प्रस्तुत हुई | अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित | अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 1 लगा. 10 ने अपनी लिखित बहस पेश कर लिखित बहस को ही उनकी बहस माने जाने का निवेदन किया अधिवक्ता अपीलार्थी की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी | पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 16/02/2026 को पेश हो |

16/02/2026

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई | संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी/वादी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी की एकपक्षीय बहस प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर समायत कर आदेश दिनांक 31/07/2024 पारित करते हुये उभयपक्षों को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया गया तत्पश्चात अप्रार्थी संख्या 4,10 की और से अधिवक्ता ने उपस्थित आकर प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 04 सीपीसी का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षों की प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 04 सीपीसी पर बहस समायत कर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18/11/2025 पारित करते हुये अप्रार्थी संख्या 4, 10 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 04 सीपीसी स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थगन ख़ारिज फरमा दिया गया | जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी | जिस पर अधिवक्ता अपीलार्थी की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी एवं अधिवक्ता रेस्पो. ने अपनी लिखित बहस को ही उनकी बहस माना जाकर अपील का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया |

अधिवक्ता अपीलार्थी की मौखिक बहस एवं रेस्पो. की लिखित बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन आदेश अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि रेस्पो. प्रश्नगत भूमि के रिकार्डेड खातेदार है एवं कानूनन एक रिकार्डेड खातेदार काश्तकार को उनकी खाते की आराजीयात के स्वतंत्र उपयोग-उपभोग से वंचित नही किया जा सकता | ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में कोई त्रुटी प्रतीत नही होती है | इसके अतिरिक्त अपीलार्थी अपील के स्तर पर प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्तनीय क्षति के बिन्दुओ को अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहे है | अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 18/11/2025 उचित प्रतीत होने से यथावत रखा जाकर अपील अपीलार्थी ख़ारिज की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 16/02/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |